न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–5/2024 दायर दिनांक– 09.07.2024

GCMS NO:- 2024/136 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

रामदेवा आ0 नहनू जाति गुर्जर नि0 हांपोलाई पंचायत मोडसा तहसील नैनवॉ हाल निवासी प्रेम नगर–3 कोटा।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा भूस्वामी श्रीमान तहसीलदार साहब, नैनवॉ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गोपीलाल सैनी।

निर्णय दिनांक 17.06.2025

–:निर्णयः–

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम मोडसा (नया) मे खाता संख्या 278 की खसरा संख्या 1581/127 रकबा 1.2944 हैक्टयर कृषि भूमि स्थित है जो प्रार्थी के खातेदारी स्वामीत्व की भूमि है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी बहैसियत खातेदारी स्वामी के आधिपत्य धाकर कर काश्त करता चला आ रहा है। गांव के कुछ लोग पडौसी प्रार्थी की खातेदारी जमीन की सीमाओं के बारे मे अनावश्यक विवाद करते है जबकि उनको किसी भी प्रकार का विवाद करने का अधिकार प्राप्त नही है।

यह कि प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओं को राजस्व नक्शे के आधार पर नापने के बारे मे हल्का पटवारी जी एवं तहसीलदार साहब से भी समय समय पर निवेदन किया लेकिन उन्होने भी कोई ध्यान नही दिया अपितु दिनांक 29.5.2024 को प्रार्थी से यह कहा कि एसडीओ साहब के यहां दावा प्रस्तुत करो। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी, नक्शा की प्रति पेश कर धारा 111, 128 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

हमने पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थना पत्र को चलते लगभग 11 माह का समय हो चुका है जबकि यह एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम मोडसा (नया) मे खाता संख्या 278 की खसरा संख्या 1581/127 रकबा 1.2944 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थी का यदि संपूर्ण हिस्से पर कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर 500/– रूपये अक्षरे पांच सौ रूपये शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा